राजस्थान राज-पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित | Published by Authority
वैशाख 28, गुरुवार, शाके 1939—मई 18, 2017
Vaisakha 28, Thursday, Saka 1939-May 18, 2017

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 18, 2017

संख्या प. 2 (24) विधि/2/2017:-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मई, 2016 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 27)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मई, 2017 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 45 का संशोधन.**- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 45 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (द) और (ध) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(द) जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, छोटे परिवार के मानकों, महिला कल्याण और बाल विकास को बढ़ावा देना;

(ध) आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, गन्दी बस्ती सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार करना;"।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 55 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (3) में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iii) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii-क) एक या अधिक, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी समितियां:

परन्तु प्रत्येक नगरपालिका, पचास वार्डों तक के लिए एक समिति, इक्यावन वार्डों से पचहत्तर वार्डों तक के लिए दो समितियां और पचहत्तर से अधिक वार्डों के लिए तीन समितियां गठित कर सकेगी;"; और

(ii) विद्यमान खण्ड (iv) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (v) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv-क) महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था समिति;"।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 121 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 121 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"121. **करापान से संबंधित अपीलें.-** कर-निर्धारण या कर-निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरुद्ध अपील, और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथापूर्वोक्त कोई अपील नहीं की गयी है, धारा 130 के अधीन मांग के किसी नोटिस के विरुद्ध अपील,-

(क) नगर निगम के मामले में, आयुक्त को; और

(ख) नगर परिषद् और नगरपालिका बोर्ड के मामले में, संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक को,

की जा सकेगी।"।

मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, May 18, 2017

No. F. 2 (24) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of (the Rajasthan Nagarpalika Chaturtha Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Shankhyank 27) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (FOURTH AMENDMENT) ACT, 2017

(Act No. 27 of 2017)

[Received the assent of the Governor on the 17th day of May, 2017]

An
Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty- eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Fourth Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 45, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing clauses (r) and (s) of sub-section (1) of section 45 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(r) promoting population control, family welfare, small family norms, welfare of women and children development;

(s) preparing plans for economic development, social justice, poverty alleviation, slum improvement, public distribution system and providing food to the needy persons;".

3. Amendment of section 55, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (3) of section 55 of the principal Act,-

(i) after the existing clause (ii) and before the existing clause (iii), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(ii-a) one or more lighting public streets, places and buildings committees:

Provided that every Municipality may constitute one committee for wards upto fifty, two committees for fifty one wards to seventy five wards and three committees for wards exceeding seventy five;"; and

(ii) after the existing clause (iv) and before the existing clause (v), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(iv-a) a women and children development, poverty alleviation, public distribution system and providing food to the needy persons committee;".

4. Amendment of section 121, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 121 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**121. Appeals relating to taxation.**- An appeal against an assessment, or an alteration of an assessment and, in all cases in which no appeal has been made as aforesaid, an appeal against a notice of demand under section 130 may be made,-

(a) to the Commissioner, in case of Municipal Corporation; and

(b) to the concerned Regional Deputy Director of Local Bodies, in case of Municipal Council and Municipal Board."

मनोज कुमार व्यास,
Principal Secretary to the Government.

5

Government Central Press Jaipur.